न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 117/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भगवानसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी भाकरोद तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 20.12.17

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 76/2013 सरकार बनाम भगवानसिंह में निर्णय दिनांक 24.09.2013 के तहत मौजा भाकरोद के खसरा नं. 589 रकबा 5.06 बीघा बारानी–2 भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.07.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.08.2016 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी पहले नही थी। अभी तीन चार दिन पहले पटवारी हल्का अपीलांट से जुर्माना वसूल करने आया तब पूछने पर उसने बताया कि अपीलांट के विरूद्व बेदखली का निर्णय तहसीलदार ने पारित किया है। इस पर अपीलांट नागौर आया और तहसील में जाकर जानकारी प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय की नकले प्राप्त की। पटवारी के आने से पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नही थी। सर्वप्रथम पटवारी द्वारा बताने पर ही निर्णय की जानकारी हुई है। पूर्व में जानकारी नही होने से अपील समय पर प्रस्तुत नही की जा सकी थी। अपील निर्णय की जानकारी से अंदर मियाद है।

{2}(II)–अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–ग्राम भाकरोद के खसरा सं. 589 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर अपीलांट का पीढियों से कब्जा काश्त खातेदारी रही है। खसरा सं. 589 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि कभी भी सरकारी मगरा भूमि नही रही है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस भूमि को गलत रूप से मगरा भूमि दर्ज कर लिया था।

{2}(IV)–खसरा सं. 589 की भूमि अपीलांट के पूर्वजो बहादुरसिंह वगैरा के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी तथा इस भूमि पर राज. टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले व बाद में अपीलांट के पूर्वजों व अपीलांट का कब्जा काश्त चला आने से वादग्रस्त भूमि अपीलांट के खातेदारी कब्जे की भूमि है। इस कारण से अपीलांट के विरूद्व किसी भी सूरत में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नही था। मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

{2}(V)–वर्ष 2006 में खसरा सं. 589 की भूमि अपीलांट के पूर्वज बहादुरसिंह के खातेदारी में दर्ज थी। बाद में इसे गलत रूप से खातेदारी से हटाकर सरकारी मगरा भूमि बिना अधिकार के दर्ज की गई है।

अपर कलक्टर, नागौर

गलत रूप से तथा बिना अधिकार के अपीलांट के खातेदारी की भूमि को मगर भूमि दर्ज करने से अपीलांट की वादग्रस्त भूमि पर से खातेदारी न तो समाप्त हुई न ही समाप्त हो सकती है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही निरंकुश तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत रही है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी व्यक्ति के यहां तक कि पटवारी के भी सशपथ बयान नही थे कि अपीलांट का ग्राम भाकरोद के खसरा सं. 589 व 598 की भूमि पर अतिक्रमण है। इस प्रकार परिवादी की ओर से अपीलांट के विरूद्व किसी भी प्रकार की साक्ष्य व बयान नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी मानने और उसे बेदखल करने व उस पर जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है।

{2}(VIII)–अन्यथा कुछ भी मान लिया जाये तो भी विकल्प में अपीलांट के खातेदारी में पैतृक भूमि 40 बीघा है जिसमें अपीलांट के सात पुत्र पुत्रियां होने से तथा नोशनल शेयर से भी अपीलांट के खातेदारी में मात्र 6 बीघा भूमि ही आती है। इस प्रकार अपीलांट भूमिहीन की श्रेणी में आता है तथा सद्भाविक कृषक होने से वादग्रस्त भूमि अपने नाम आंवटित व नियमन कराने का अधिकारी है। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को बिल्कुल नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

{2}(IX)–निर्णय के पढने से ज्ञात हुआ कि अपीलांट का जवाब भी, जो अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत नही है, गलत तथा मौके के विपरीत है। अपीलांट का कब्जा तो पीढियों से है और बतौर खातेदार की हैसियत से है और इस कब्जे को बनाये रखने का अपीलांट हकदार है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपील करीबन 3 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट को किस तिथी को जानकारी हुई, उसे नकले कब मिली। ऐसा कोई संतोषजनक कारण नही है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नही है। अपीलांट द्वारा भाकरोद में स्थित बारानी–2 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.09.13 से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.7.16 को करीबन 34 माह पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को आदेश जैर अपील की प्रथम जानकारी किस तिथी को प्राप्त हुई। उसके द्वारा नकल आवेदन कब किया गया तथा नकले कब मिली। ऐसी कोई दस्तावेजी सूचना पत्रावली पर नही है जबकि देरी के संबंध में प्रत्येक दिन की देरी का संतोषजनक कारण देना होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर भी चलने योग्य नही है। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भाकरोद के खसरा नंबर 589 रकबा 5.06 बीघा बारानी–2 भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर